न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :— करतारसिंह पूनियाँ आर.ए.एस.

अपील संख्या 33/2022

आरसीएमएस नं. 2022/33

अनिल पुत्र काशीराम जाति जाट साकिन हरदयालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ, राजस्थान।

— अपीलान्ट

बनाम

1. काशीराम पुत्र पदमाराम जाति जाट सानि हरदयालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. चन्द्रकला पुत्री काशीराम पत्नी महेन्द्रकुमार जाति जाट साकिन 29 वाई डी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर, राजस्थान।
3. राजकुमारी पुत्री काशीरमा पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति जाट साकिन चक 26 के वाई डी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर, राजस्थान।
4. श्री गंगानगर क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक चक 24 जेआरके गोलूवाला जरिये शाखा प्रबन्धक श्री गंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा चक 24 जेआरके गालूवाला तहसील पीलीबंगा जिला श्रीगंगानंगर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमागनढ।

— रेस्पोडैन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट
विरूद्व निर्णय सहायक कलक्टर पीलीबंगा
दिनांक 10.07.2017 प्रकरण संख्या 36/2017
बअनवानी अनिल कुमार बनाम काशीराम आदि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

श्री जसपाल सिंह दहिया अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री शैलेन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1

निर्णय

दिनांक – 17.02.23

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें चक 5 एचडीपीबी की 2.227 है0 भूमि में अपना हक हिस्से होने का कथन करते हुए प्रश्नगत भूमि में अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी की 1/4 हि0 तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जिससे व्यथित होकर अंपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील के दफा 2 ता 10 में वर्णित अनुसार उक्त कृषि भूमि अपीलाण्ट की पैतृक कृषि भूमि थी जिसका अपीलार्थी अपने कब्जा काश्त का कानूनन मालिक व खातेदार होने की घोषणा पाने का हकदार है, जबकि रेस्पोडेण्ट ने अन्य व्यक्तियों से मिलकर मुझ अपीलार्थी के खिलाफ एक गुट बना लिया है जो अपीलार्थी का हक हिस्सा की भूमि को रहन बेय व अन्य तरीके से अन्तरिण कर कब्जा की कृषि भूमि से अपीलाण्ट को बेदखल करने पर आमादा है यदि वह अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो अपीलाण्ट को अपूर्णीय क्षति होगी। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.07.2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा कैम्प 2017 पंचायत मुख्यालय पर बिना किसी राजीनामा के व पक्षकारान की गैर हाजिरी में उक्त अपीलाधीन आदेश जारी किया है। विवादित भूमि के 1/4 हिस्सा के हक घोषणा के बिना ही आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

जारी कर दिया है। प्रार्थना–पत्र का विधि सम्मत तरीके से सुनवाई किये बिना ही निस्तारण कर दिया है। उक्त आदेश एवं निर्णय का अपीलाण्ट को ज्ञान नही हुआ ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। अपीलाण्ट का जितना हक हिस्सा बनता है उतने पर विचारण न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर स्थगन आदेश जारी किया है। अपीलाण्ट ने मिथ्या आधारों पर रेस्पोडेण्ट को हैरान परेशान करने के लिए यह अपील पेश की है। विलम्ब से अपील पेश करने का कोई कारण नहीं बताया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 212 आरटीएक्ट के प्रार्थना–पत्र पर पर विचारण न्यायालय ने दिनांक 15.05.2017 को प्रार्थना–पत्र दर्ज करते हुए प्रश्नगत 2.227 है0 भूमि में प्रार्थी के हक हिस्सा तक भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं रहन बेय नही करने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की थी। दिनांक 04.07.2017 को अप्रार्थी सं0 2 व 3 की तरफ से जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया और पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 21.08.2017 निश्चित की गई थी, परन्तु नियत दिनांक 21.08.2017 से पूर्व ही दिनांक 10.07.2017 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

2017 को पेशी में लेकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। पत्रावली को कैम्प कोर्ट में रखने के लिए कोई नोटिस दिया गया हो अथवा कोई आदेश पारित किया हो ऐसा तथ्य सामने नहीं आया है। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय अपीलांट को सुने बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं निर्धारित तारीख से पूर्व ही पारित किया गया है। लोक अदालत में केवल राजीनामा के प्रकरणों का ही निस्तारण किया जाता है जबकि इस प्रकरण में ऐसा कोई राजीनामा होने का तथ्य सामने नहीं आया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायलाय को पुन5 सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाती है एवं सहायक कलक्टर पीलीबंगा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2017 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 17.02.23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

17.2.23
(करतार सिह पूनियॉ)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ